

फा. सं. ई-11017/5/2020 रा.भा. (35168)

भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग

राजभाषा अनुभाग

कृषि भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 10 सितंबर, 2025

विषय: सरकारी कामकाज में टिप्पण/आलेखन प्रोत्साहन योजना में संशोधन के संबंध में।

उपर्युक्त विषय पर पशुपालन और डेयरी विभाग के दिनांक 08 जुलाई, 2025 के पत्र का संदर्भ ग्रहण करें। संदर्भाधीन पत्र में वर्ष 2025-26 के दौरान (01 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2026 तक) अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा मूलरूप से टिप्पण आलेखन हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहन योजना लागू की जा रही है। इसी के आधार पर इस योजना को मुख्यालय के सभी अधीनस्थ कार्यालयों में भी लागू करने के लिए कहा गया है। इसके लिए 'क' और 'ख' क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा वर्ष 2025-26 के दौरान फाइलों/रजिस्ट्रों व पत्राचार में 20,000 या उससे अधिक शब्द हिंदी में लिखे जाने अपेक्षित हैं, जबकि 'ग' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा वर्ष 2025-26 के दौरान फाइलों/रजिस्ट्रों व पत्राचार में 10,000 या उससे अधिक शब्द हिंदी में लिखे जाने अपेक्षित हैं। इस योजना में भाग लेने वाले पात्र कर्मिकों को प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पुरस्कार निम्नानुसार प्रदान किए जाएंगे। प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत दी जाने वाली पुरस्कार राशि संबंधित कार्यालय को आवंटित धन-राशि से वहन की जाएगी:-

प्रथम पुरस्कार	(2 पुरस्कार)	:	5,000/- रु. प्रत्येक
द्वितीय पुरस्कार	(3 पुरस्कार)	:	3,000/- रु. प्रत्येक
तृतीय पुरस्कार	(5 पुरस्कार)	:	2,000/- रु. प्रत्येक

2. अब गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा इस योजना में दिनांक 02 सितंबर, 2025 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11034/09/2025-राजभाषा (नीति) (प्रति संलग्न) के तहत कुछ संशोधन किया गया है।

3. केंद्र सरकार के कार्यालयों में भौतिक फाइलों के स्थान पर इलैक्ट्रॉनिक फाइल प्रणाली अपनाए जाने के कारण फाइलों पर टिप्पण/आलेखन का अधिकांश कार्य डिजिटल हो गया है। अतः योजना के कार्यन्वयन को विस्तार प्रदान करने के लिए राजभाषा विभाग के दिनांक 16 फरवरी, 1988 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11/12013/3/87-रा.भा. (क-2) में निम्नलिखित संशोधन किया गया है:

वर्तमान में योजना का नाम	संशोधित नाम
'सरकारी कामकाज मूल रूप से हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहन योजना'	'सरकारी कामकाज (भौतिक अथवा इलैक्ट्रॉनिक रूप में) मूल रूप से हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहन योजना'
पात्रता में निम्नलिखित पंक्ति को जोड़ा जाता है: 2(2) (ड.) इस योजना के तहत कंप्यूटर/ई-ऑफिस में हिंदी में किए गए टिप्पण/आलेखन को भी शामिल किया जाएगा।	

अतः उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए अपने द्वारा राजभाषा में किए जा रहे कार्य का रिकार्ड रखें।

संलग्नक: यथोपरि

(स्वाति मेल्टी)
उप-निदेशक (रा.भा.)
जारी/....

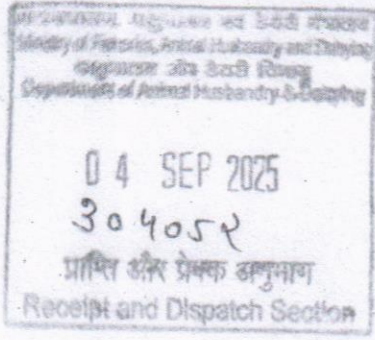
नोट: केंद्र सरकार की इस योजना का उद्देश्य प्रोत्साहन के माध्यम से राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देना है। अतः सभी अनुभागाध्यक्ष इसका अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करें।

वितरण:

1. मुख्यालय के सभी अधीनस्थ कार्यालय
2. राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्य
3. अनुभाग अधिकारी (आई-टी) को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. सचिव (एएचडी) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव
2. अपर सचिव (सीडीडी) के प्रधान निजी सचिव
3. अपर सचिव (एलएच) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव
4. पशुपालन आयुक्त (एएचसी) के प्रधान निजी सचिव
5. संयुक्त सचिव (एनएलएम) के प्रधान निजी सचिव
6. संयुक्त सचिव (रा.भा.) के निजी सहायक



554

पी-7267

11034/09/2025-राजभाषा (नीति)

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभागचौथा तल, एनडीसीसी-2 भवन,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001
दिनांक 25.08.2025

102 SEP 2025

कार्यालय ज्ञापन

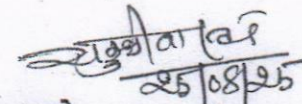
विषय: सरकारी कामकाज में टिप्पण/आलेखन प्रोत्साहन योजना के संबंध में।

राजभाषा विभाग के दिनांक 16 फ़रवरी, 1988 के कार्यालय ज्ञापन संख्या II/12013/3/87-रा.भा. (क-2) के तहत सरकारी कामकाज में मूलतः हिंदी में टिप्पण/आलेखन के लिए पहले से प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है। इस संबंध में विभाग द्वारा दिनांक 14 सितंबर, 2016 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 12013/01/2011-रा.भा.(नीति) द्वारा प्रोत्साहन राशि में संशोधन भी किया गया।

2. केंद्र सरकार के कार्यालयों में भौतिक फाइलों के स्थान पर इलैक्ट्रॉनिक फाइल प्रणाली अपनाए जाने के कारण फाइलों पर टिप्पण/आलेखन का अधिकांश कार्य डिजिटल हो गया है। अतः योजना के कार्यान्वयन को विस्तार प्रदान करने के लिए विभाग के दिनांक 16 फ़रवरी, 1988 के कार्यालय ज्ञापन संख्या II/12013/3/87-रा.भा. (क-2) में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :

वर्तमान में योजना का नाम	संशोधित नाम
'सरकारी कामकाज मूल रूप से हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहन योजना'	'सरकारी कामकाज (भौतिक अथवा इलैक्ट्रॉनिक रूप में) मूल रूप से हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहन योजना'
पात्रता में निम्नलिखित पंक्ति को जोड़ा जाता है:	
2(2)(ड) इस योजना के तहत कंप्यूटर/ई-ऑफिस में हिंदी में किए गए टिप्पण/आलेखन को भी शामिल किया जाएगा।	

3. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।


(राजेश कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त निदेशक (नीति)
दूरभाष: 23438251

सेवा में :-

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को इस अनुरोध के साथ कि वे इस कार्यालय ज्ञापन की विषय वस्तु को अपने सभी संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों, केंद्र सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सांविधिक/स्वायत्त निकायों/उद्घर्मों/अभिकरणों/निगमों और राष्ट्रीयकृत बैंकों के ध्यान में लाएं।

23.8.25

1/2